

## क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

## OFFICE OF THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

भविष्य निधि भवन, 341, बांद्रा (पूर्व) बम्बई-400 051

Bhavishya Nidhi Bhavan, 341, Bandra (East), Bombay-400 051

सं./महा/प्र.नि./प्रयोज्यता

No. MH/PE/APP/96518/ENF.ZONE-IX/1202

दिनांक

Date: 10.3.98

सेवा में

To M/s Pawan Machmaries Pvt. Ltd.

Plot No. 56

Atgaon Ind. Complex

Atgaon - 421-304

विषय :— कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना-इसकी प्रयोज्यता-संकेत संस्था का आवंटन।

Sub : Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 and the scheme framed thereunder—applicability thereof—Allotment of code number.

महोदय,

Sirs,

1. आपकी फैक्ट्री/स्थापना उसकी सभी शाखाएँ और विभागों के साथ दि—से कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना के प्रविधान खण्ड में समाविष्ट की गई है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार यह प्रकट होता है कि :—

1. Your factory/establishment with all its branches and departments is brought within the purview of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the scheme framed thereunder with effect from 00.09.57. The information made available reveals that—

(1) आपकी फैक्ट्री अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग—का कार्य करती है जिसपर अधिनियम की धारा 1 (3) के अधिन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू होता है।

(i) Your factory is engaged in E.M.G.E. one of the Industries specified in Schedule I to which the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 is applicable under Section 1 (3) (a) of the Act.

2. आपकी स्थापना—के लिए वर्गीकृत की गई है जिसपर अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) के अधिन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू किया है।

(ii) Yours is an establishments classified as— to which the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 has been made applicable by the Government of India by a Notification issued under Section 1 (3) (b) of the Act.

3. आपकी फैक्ट्री/स्थापना जो कार्य करती है वह अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग में तथा अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) के अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुसूचित स्थापनाओं के वर्ग में अन्तर्भूत नहीं है। अतः आपकी स्थापना को अनुसूचित माना गया है।

(1-क) जांच पड़ताल/उपलब्ध सूचना के आधार पर व्याप्ति तत्कालिक स्वल्प की है; लेकिन इस शर्त पर कि आपके पूर्व अधि के प्रलेख सत्यापित हो जाए।

(1-A) The coverage is provisional on the basis of enquiries made/information available and is subject to further verification of your records for prior periods.

(1-ख) अधिनियम की धारा (1) (4) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 के स्वैच्छिक रूप से विस्तार के सम्बन्ध में प्राप्त आपके आवेदन सं—दि—के सन्दर्भ में कर्मचारी भविष्य निधि प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुवे भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने तक आपको स्थापना की तात्कालिक रूप से दि—से, व्याप्ती करके उसके लिए एम्एच/—यह संकेत संस्था नियत की गई है।

(A-B) With reference to your application No. .... Dated. .... received for extension of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 under section 1 (4) of the Act, on a voluntary basis, a code number is hereby allotted to your establishment namely MH/..... provisionally covering your establishment with effect from ..... pending issue of a notification by the Government of India in exercise of the powers conferred on them by sub-section (4) of section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.